

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 3079

दिनांक - 30.5.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कंवरा राम 2.नरसींगाराम 3. बांकाराम पिसरान पदमाराम 4.माडू पत्नी पदमाराम जातियान जाट निवासीयान खेमोणी धतरवालों की ढाणी(छीतर का पार) तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर।

1 अमेदाराम 2.खीयाराम 3.लाखाराम 4.विशानाराम पिसरान चेतनराम 5.अणदाराम पुत्र गोरखाराम 6. अमरु पत्नी देवाराम 7.खेताराम 8.ताराचंद 9. पाबूराम 10.राउराम पिसरान देवाराम 11.गंगाराम 12.हरुराम 13.हिमथाराम पिसरान अचलाराम 14. राणी पत्नी अचलाराम 15.रामचन्द्र 16.सोहनलाल पिसरान मगाराम 17.मूलाराम पुत्र कोहलाराम 18. दुर्गाराम 19.जोगाराम पिसरान दीपाराम 20.टिपू पत्नी दीपाराम 21.बांकाराम पुत्र डालूराम 22.कलू पत्नी डालूराम 23.नाबालिग जगदीश 24..नाबालिग भोमाराम पिसरा रामलाल 25.लाछी पत्नी रामलाल जातियान जाट निवासीयान खेमोणी धतरवालों की ढाणी(छीतर का पार) बाटाडु व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 128/2024

दिनांक- 27/05/25

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खैमोणी धतरवालों की ढाणी पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 437/150, 443/150 रकबा कमशः 11.0105, 3.0095, हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/ 3080- 83

दिनांक- 30.5.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

7. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
8. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
9. प्रार्थी कंवरा राम पुत्र चेतनराम वगैराह जाति जाट निवासी खेमोणी धतरवालों की ढाणी(छीतर का पार) तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर।
- 13 विप्रार्थी अमेदाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट वगैराह निवासी खेमोणी धतरवालों की ढाणी(छीतर का पार) तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर